बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं0–6/खा0 म0 विविध–लोक भूमि–01/2014– (6)/रा0, पटना–15, दिनांकः– / /

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– शहरी क्षेत्रों की सरकारी (लोक) भूमि की घेराबंदी के लिए वित्तीय वर्ष–2017–18 में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत

2. सरकारी भूमि के लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराकर सरकारी भूमि का संरक्षण कर भूमि सुरक्षित किये जाने हेतु सरकारी (लोक) भूमि की घेराबंदी कराये जाने की आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना का प्रारम्भ कर प्राथमिकता के आधार पर जिला मुख्यालय एवं अन्य शहरी क्षेत्रों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर पक्की घेराबंदी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. योजना उद्व्यय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में 40 लाख (चालीस लाख) रू0 की राशि का बजट उपबन्ध उक्त मद में प्राप्त हुआ है।

4. सरकारी (लोक) भूमि के घेराबन्दी के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रति सौ रनिंग फीट के आधार पर दो मानक प्राक्कलन क्रमशः रू0 1,92,000 (प्रति सौ फीट) एवं रू0 2,08,000 (प्रति सौ फीट) तैयार किए गए हैं। उन्हीं मानक प्राक्कलनों के आधार पर प्राथमिकता तय करते हुए भूमि की घेराबंदी करायी जाएगी।

5. राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी (लोक) भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर संरक्षित भूमि की पक्की घेराबन्दी सुनिश्चित किए जाने के शेष कार्यों के लिए वर्ष, 2017–18 में बजट उपबन्धित पूरी राशि 40.00 लाख (चालीस लाख) रू0 के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6. उपरोक्त कार्य पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–3 के अन्तर्गत योजना मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघुशीर्ष–051 निर्माण, समूह शीर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0119 सरकारी भूमि की धेराबंदी विषय शीर्ष–5301 मुख्य निर्माण कार्य (विपत्र कोड–03–4059800510119) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है ।

7. इस योजना से सम्बन्धित राशि का व्यय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दी गयी जिलावार/अंचलवार राशि के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

कृ0 पृ0 उ0

8. इस योजना के लिए राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

9. योजना अन्तर्गत कराये गये कार्य के सम्बन्ध में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण–पत्र समयानुसार प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एवं डी0 सी0 विपत्र महालेखाकार विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–6/खा0 म0 विविध–लोक भूमि–01/2014– (6)/रा0, पटना–15, दिनांकः– / /
प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–6/खा0 म0 विविध–लोक भूमि–01/2014– (6)/रा0, पटना–15, दिनांकः– / /
प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

FAX E-mail

ज्ञापांक–6/खा0 म0 विविध–लोक भूमि–01/2014– 564 (6)/रा0, पटना–15, दिनांकः– 11/07/17
प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ताओं, बिहार/संबंधित कोषागार पदधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।